न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी महावीर सिह (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 8 / 2023

उनवान

1 श्रीमति सरोज क्षेत्रपाल पत्नि श्री डॉ0 रमेश क्षेत्रपाल पुत्र जाति हिन्दु पंजाबी निवासी कुन्दन नगर अजमेर

प्रार्थीयागण

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री एन.एस.राजावत अभिभाषक प्रार्थीयॉ
2. तहसीलदार अजमेर

दिनांक 15.06.2023

आदेश

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान ग्राम पंचायत चाचियावास में पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित । उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर सुना गया।

प्रार्थीयागण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हाथीखेडा तहसील व जिला अजमेर स्थित वर्किग खाता संख्या 260 नया 274 पुराना के वर्किग खसरा नम्बर 1201 रकबा 00–10–10 बीघा किस्म चाही 01 कृषि भूमियां के साथ श्री लक्ष्मण व हजारी पुत्रगण स्व0 श्री भूरा जाति रावत के तन्हा खातेदारी व आधिपत्य की रही है। उक्त कृषि भूमियों के मूल सहखातेदार श्री लक्ष्मण पुत्र भूरा, जाति रावत के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उक्त भूमियां अन्य भूमियों के साथ जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 23.10.2001 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी एव
शिविर प्रभारी
मंहगाई राहत कैम्प

विधिक वारिसान श्रीमती राजी पत्नी स्व0 श्री लक्ष्मण एवं भागचन्द, श्रवण, देवी व धर्मा पुत्रगण स्व0 श्री लक्ष्मण जाति रावत के स्वीकृत किया जाकर वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता संख्या नया 260 पुराना 274 में तदानुसार अंकन कर दिया गया । श्रीमती राजी पत्नि स्व0 श्री लक्ष्मण के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात उक्त भूमियां अन्य भूमियों के साथ जरिये विरासत नामानतकरण संख्या 480 दिनांक 26.06.2006 द्वारा श्री भागचन्द, श्रवण, देवी, शैतान व धर्मा पुत्रगण स्व0 श्री लक्ष्मण रावत एवं श्रीमति सीता व श्री मति राधा पुत्रीयॉ श्री लक्ष्मण के नाम स्वीकृत किया जाकर वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता संख्या नया 260 पुराना 274 में तदानुसार अंकन कर दिया गया। विधिक वारिसान एवं सहखातेदार श्री भागचन्द, श्रवण, देवी व धर्मा पुत्रगण स्व.श्री लक्ष्मण, जाति रावत द्वारा संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र की चरण सं. 01 में वर्णित भूमि में निहित अपने अविभाजित 4/14 हम को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2010 द्वारा प्रार्थीया के हक में विक्रय कर स्वामित्व व अधिपत्य प्रदान कर दिये जाने पर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2010 के आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 1042 दिनांक 15.08.2010 प्रार्थीया के नाम स्वीकृत कर दिया गया, इस प्रकार प्रार्थीया अपने कयशुदा खातेदारी व आधिपत्य की भूमि पर बहैसियत खातेदार/काबिज काश्त चली आ रही है। वर्तमान में सम्पन्न भू–संशोधन की कार्यवाही पश्चात वर्किंग खसरा नम्बर 1201 जिसके कि विभाजित वर्तमान खसरा नम्बर 2915/813 रकबा 0.0450 है0 किस्म चाही–01 कायम किये गये है, को लिपिकीय त्रुटि कारित करते हुए वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 में विधिवत स्वीकृत बेचान नामान्तकरणसंख्या 1042 दिनांक 15.08.2010 को विलोपित किया जाकर पुनः विक्रेतागण के नाम वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 के खाता संख्या नया 902 पुराना 76 मं दर्ज कर दिया गया जिस लिपिकिय त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित बैचान नामान्तकरण का इन्द्राज वर्तमान राजस्व रेकार्ड में किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व एजेन्सी विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टातो के परिपेक्ष्य में पूर्व राजस्व रेकॉर्ड में किये गये विधि सम्मत इन्द्राजात की पुनारावृति कर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने हेतु विधि के तहत बाध्य एवं प्रतिबन्धित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विधिवत स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1042 दिनांक 15.08.2010 का अंकन वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 के खाता संख्या नया 902 पुराना 76 में किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए।

दौराने केम्प तहसीलदार अजमेर ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम हाथीखेडा के वर्किंग खसरा नम्बर 1201 रकबा 00–10–10 पर नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 23.10.2001, 480 दिनांक 26.06.2006, 1042 दिनांक 15.08.2010, के आधार पर हाल रेकार्ड में नवीन खसरा नम्बर 2915/813 रकबा 0.0450 पर कय किये गये हिस्से अनुसार दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मुताबिक वर्किंग जमाबंदी गत खसरा संख्या 1201 रकबा 00–10–10 पर मृतक लक्ष्मण पुत्र भूरा के 1/2 हिस्से पर विरासत नामान्तकरण 225 दिनांक 23.10.2001 से वारिसान भागचन्द, श्रवण देवी, शैतान, धर्मा पिता लक्ष्मण, राजी पत्नि लक्ष्मण के नाम अंकन दर्ज है, तथा नामान्तकरण 480 दिनांक 26.06.2006 से मृतक राजीव पत्नि लक्ष्मण की विरासत से भागचन्द श्रवण देवी, शैतान, धर्मा पिता लक्ष्मण, राधा, सीता पुत्रियॉ लक्ष्मण के नाम अंकन दर्ज हुआ। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 1042 दिनांक 15.08.2010 से विकेता भागचन्द, श्रवण देवी, धर्मा, के हिस्से पर प्रार्थीयॉ के नाम दर्ज हुआ । हाल रेकार्ड में नवीन खसरा नम्बर 813 रकबा 0.09 के विभाजन नामान्करण से विभाजित खसरा नम्बर 2915/813 रकबा 0.0450 पर देवीसिह, धर्मसिह, भागचंद, शैतान सिह, श्रवण सिह पिता लक्ष्मण कौम रावत के नाम अंकन हो गया है। अतः गत वर्किंग जमाबंदी एवं नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 23.10.2001, 480 दिनांक 26.06.2006 व 1042 दिनांक 15.08.2010 के आधार पर विकेता के हिस्से पर हाल रेकार्ड में नवीन खसरा नम्बर पर इन्द्राज दुरूस्ती हेतु अनुशंषा उचित प्रतित होती है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अजमेर की अनुसार वर्किंग जमाबंदी गत खसरा संख्या 1201 रकबा 00–10–10 पर मृतक लक्ष्मण पुत्र भूरा के 1/2 हिस्से पर विरासत नामान्तकरण 225 दिनांक 23.10.2001 से वारिसान भागचन्द, श्रवण देवी, शैतान, धर्मा पिता लक्ष्मण, राजी पत्नि लक्ष्मण के नाम अंकन दर्ज है, तथा नामान्तकरण 480 दिनांक 26.06.2006 से मृतक राजीव पत्नि लक्ष्मण की विरासत से भागचन्द श्रवण देवी, शैतान, धर्मा पिता लक्ष्मण, राधा, सीता पुत्रियॉ लक्ष्मण के नाम अंकन दर्ज हुआ। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 1042 दिनांक 15.08.2010 से विकेता भागचन्द, श्रवण देवी, धर्मा, के हिस्से

उपखण्ड अधिकारी एव
शिविर पभारी

पर प्रार्थीयों के नाम दर्ज हुआ । हाल रेकार्ड में नवीन खसरा नम्बर 813 रकबा 0.09 के विभाजन नामान्तकरण से विभाजित खसरा नम्बर 2915/813 रकबा 0.0450 पर देवीसिह, धर्मसिह, भागचंद, शैतान सिह, श्रवण सिह पिता लक्ष्मण कोम रावत के नाम अंकन हो गया है। अतः गत वर्किंग जमाबंदी एवं नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 23.10.2001, 480 दिनांक 26.06.2006 व 1042 दिनांक 15.08.2010 के आधार पर विक्रेता के हिस्से पर हाल रेकार्ड में नवीन खसरा नम्बर पर इन्द्राज दुरूस्ती हेतु अनुशंषा उचित प्रतित होना तहसीलदार ने अंकित किया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों एवं उनकी पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य तथा तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जवाब/रिकार्ड से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुटि को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अजमेर को आदेश दिए जाते है कि वर्किंग जमाबंदी के नामान्तकरण संख्या 1042 दिनांक 15.08.2010 का नवीन जमाबंदी तथा राजस्व रिकॉर्ड में यदि विधिवत अमल दरामद नहीं हुआ हो तो राजस्व रिकार्ड से जांच–मिलान कर ग्राम हाथीखेडा तहसील अजमेर अवस्थित हाल खाता संख्या 902 पुराना 76 के वर्तमान खसरा नम्बर 2915/1813 रकबा 0.0450 पर अमल दरामद किये जाते है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार अजमेर को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

महावीर सिंह
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर